रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2015/ज्येष्ठ 25, 1937
No. 392] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2015/JYAISTHA 15, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

सा.का.नि. 492(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 58(अ), तारीख 27 जनवरी, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, तारीख 27 जनवरी, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 96ग में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 फरवरी, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर और उसके कृषि ट्रेलर में, हाईड्रोलिक ब्रेक प्रणाली रखने वाले कृषि ट्रेलर को सुकर बनाने के लिए नियम 97 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट एआईएस: 043-2005 विनिर्देश के अनुसार निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) एक हाईड्रोलिक पंप और वाल्व, जो ट्रैक्टर पर समुचित पाइप से जुड़े हों ;

(ख) मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) द्वारा उपसाधन के रूप में दी गई ट्रैक्टर पर एक हाईड्रोलिक पाइप और दाब लाइन, जो ट्रैक्टर पर उनके डीलरों द्वारा फिट की जानी है, जो ट्रेलर के लिए हाईड्रोलिक लाइन की निकासी को सुकर बनाने के लिए ट्रैक्टर के पिछले भाग पर समाप्त होती है ;

(ग) प्रत्येक किस्म और माडल के ट्रैक्टर विनिर्माता द्वारा ट्रैक्टर के पिछले भाग पर एक हाईड्रोलिक पाइप और दाब लाइन के उपलब्ध रहने को स्वामी के मैनुअल में स्पष्टतया विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) ट्रैक्टर में ट्रेलर ब्रेक संचालन केबल या लिंक को जोड़ने की न्यूनतम व्यवस्था होगी ।"।

3. मूल नियमों के नियम 97 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 फरवरी, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक कृषि ट्रेलर में, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 043-2005 विनिर्देश के अनुसार कृषि ट्रेलर ब्रेक प्रणाली की अनुपालना के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, अर्थात्:—

ट्रेलर पर हाईड्रोलिक ब्रेक प्रणाली या इनर्सिया ओवर-रन ब्रेक प्रणाली जैसे, आधार ब्रेक (ड्रम या डिस्क, आदि) संचालन प्रणाली, जिसके अंतर्गत आनुपातिक या नियंत्रण वाल्व भी है ;

(क) समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस : 043-2005 के अनुसार कृषि ट्रेलर ब्रेक प्रणाली अपेक्षाओं का किस्म अनुमोदन ।" ।

[सं. आरटी-11036/31/2010-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 488(अ), तारीख 12 जून, 2015 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2015

G.S.R. 492(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 58(E), dated the 27th January, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 27th January, 2015;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 96C, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that every agricultural tractor manufactured on or after the 1st February, 2016 and coupled with agricultural trailer, shall meet the following requirements to facilitate agricultural trailer having hydraulic brake system as per AIS:043-2005 specification referred to in sub-rule (3) of rule 97, namely:—

(a) a hydraulic pump and valve with suitable pipe connections on the tractor;

(b) a hydraulic piping and pressure lines on the tractor supplied by the Original Equipment Manufacturer (OEM) as accessories, to be fitted on the tractor by their dealers which shall be terminated at the rear end of the tractor, to facilitate tapping of hydraulic line for trailer;

(c) the hydraulic line pressure available at the rear end of the tractor shall be clearly specified by the manufacturer for each type and model of the tractor in the owner's manual;

(d) the tractor shall have the minimum provision for connecting the trailer brake actuation cable or linkage.".

3. In the principal rules, in rule 97, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that every agricultural trailer manufactured on or after the 1st February, 2016 shall meet the following requirements for compliance to agricultural trailer brake system as per AIS:043-2005 specification, as amended from time to time, namely:—

(a) fitment of the hydraulic braking system or inertia over-run braking system such as foundation brake (drum or disc, etc.) actuation systems on the trailer including the proportional or control valve;

(b) type approval of agricultural trailer braking system requirements as per AIS-043-2005, as amended from time to time.".

[No. RT-11036/31/2010-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 488(E), dated the 12th June, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.